

न्यायालय- समाहर्ता / जिला दण्डाधिकारी / जिलाधिकारी, सहरसा।

विविध वाद संख्या- 05/2017

साजदा खातुन बनाम राज्य

आदेश।

23-6-17

प्रस्तुत विविध वाद अपीलार्थी साजदा खातुन द्वारा जप्त टैंकर No. JH 17E 2126 को मुक्त करने संबंधी C.W.J.C. No. 20123/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 21.12.2016 को पारित आदेश की प्रति लगाकर दाखिल किया गया है।

This Court deems it fit and proper to direct the confiscating authority to provisionally release the aforesaid Tanker bearing Registration No. JH-17E-2126 in favour of the petitioner on furnishing sufficient security/ Surety/ guarantee to the satisfaction of the Collector, Saharsa and after due verification of ownership of and further with a condition that whenever the vehicle in question would be required either in the confiscation proceeding or police case, that has to be produced by the owner in whose favour that would be released and further that he would not dispose of, alter or modify the Vehicle till the aforesaid cases are pending.

The release would be subject to the result of the confiscation case as well as the final result of the criminal case concerned.

अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु वाहन के मालिक की उचित पहचान कर एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी के समन्वय कर इस शर्त को बंध-पत्र वाहन मालिक से प्राप्त कर लें कि संबंधित न्यायालय अथवा पुलिस केश में साक्ष्य हेतु आवश्यकता पड़ने पर अविलम्ब उक्त वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित न्यायालयों में वाद की समाप्ति तक उक्त वाहन की बिक्री अथवा स्वरूप परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वाहन मालिक को एक सरकारी कर्मी से भी इस आशय का बंध पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी सदर को समर्पित करना होगा। इसके साथ-साथ वाहन मालिक, वाहन के मूल्य का 25% राशि की बैंक गारण्टी भी अनुमण्डल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। इस निदेश के साथ जप्त वर्णित वाहन को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। अनुमण्डल पदाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित्त एवं शुद्धिकृत।

23-6-17
समाहर्ता,
सहरसा।



23-6-17
समाहर्ता,
सहरसा।